

राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

- 27 सितंबर, 2023 को भारत नरिवाचन आयोग के नरिदेशानुसार छत्तीसगढ़ में आगामी वधिनसभा आम नरिवाचन-2023 के लिये राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (Media Certification and Monitoring Committee) का गठन कया गया है।

प्रमुख बदि

- मुख्य नरिवाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में सात सदस्यीय एमसीएमसी का गठन कया गया है। मुख्य नरिवाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा समिति के गठन के संबंध में जारी आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
- मुख्य नरिवाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार संयुक्त मुख्य नरिवाचन पदाधिकारी नलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का सदस्य-सचवि बनाया गया है।
- पत्र सूचना कार्यालय (PIB) रायपुर के उप नदिशक रमेश जयभाये, प्रेस काउंसलि ऑफ इंडिया सदस्य डॉ. सुमन गुप्ता और मंत्रालय, नवा रायपुर में राष्ट्रीय सूचना वज्ज्ञान केंद्र में वैज्ज्ञानकि असीम कुमार थवाईत को समिति का सदस्य बनाया गया है। इनके साथ ही भारत नरिवाचन आयोग द्वारा नयुिक्त प्रेक्षक और समिति द्वारा मनोनीत दक्ष प्रतनिधि भी इसके सदस्य होंगे।
- राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति विज्ज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में ज़िला तथा अपर/संयुक्त मुख्य नरिवाचन पदाधिकारी दोनों से प्राप्त अपील पर नरिणय लेगी। समिति ज़िलास्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के नरिणय के वरिद्ध अपील पर पेड न्यूज़ (Paid News) के सभी मामलों या स्वप्रेरणा से लये गए मामलों की जाँच करेगी। पेड न्यूज़ के मामले सही पाए जाने पर समिति संबंधति रटिर्नगि अधिकारी को अभ्यर्थियों को नोटसि जारी करने का नरिदेश देगी।